

Dated - 07/11/2023

Action taken report in the matter of O.A. No. 473/2023 tilted as Lalit Gulati & Anr. V/s Union of India & Ors. in compliance of National Green Tribunal order dated 28.07.2023

The National Green Tribunal, New Delhi has passed order dated 28.07.2023 in the Original Application 473/2023 Titled as Lalit Gulati & Anr. V/s Union of India & Ors., relevant portion is reproduced as under:-

"...it is stated that this indiscriminate disposal of waste directly on the road has led to a multitude of detrimental consequences that pose a significant risk to public health, the environment, and the overall wellbeing of the community. The situation has reached such an alarming state that it has triggered widespread protests by the locals, who have taken to the streets with banners and slogans, demanding immediate action to address this growing menace. These protests have garnered the attention of news media, which have aptly referred to the road in question as a "mini landfill," highlighting the magnitude of the problem caused by the negligence of Eco Green Company.

The irresponsible actions of Eco Green Company have led to an environmental catastrophe, resulting in a catastrophic amalgamation of decaying garbage, sludge, and mud that has rendered the road impassable. This hazardous mixture has not only obstructed traffic but has also unleashed an overwhelming stench and pollution that permeates the entire locality, endangering the health and lives of those residing in the vicinity. The dire situation has not gone unnoticed by the media, with news articles extensively covering the protests and emphasizing the culpability of Eco Green Company in turning the road into an unofficial dumping ground..."

In continuation to Action Taken Report dated 28.08.2023, it is submitted that pursuant to the order of Hon'ble NGT, Joint committee comprising of Additional Deputy Commissioner, Gurugram (Representative appointed by Deputy Commissioner, Gurugram vide letter No. 3457/MB dated 14.08.2023 & Sh. Divyansh Krishna, AEE (Nominee of HSPCB, Gurugram Region, North) visited the site on 24.08.2023 in order to submit factual report. During site inspection it was observed that Heaps of Solid Waste and other waste was found dumped along the road in open area (Photographs of the site are attached). It is also pertinent to mention that trucks were found picking up the solid waste from the site in order to clear the dumping site of solid waste. During inspection it was also observed that Municipal Corporation, Gurugram is the agency which has violated the MSW Rules, 2016. Therefore, Show Cause Notice for Environmental Compensation & prosecution under EP Act, 1986 for noncompliance of Solid Waste Management Rules, 2016 have been issued to Municipal Corporation, Gurugram vide this office letter No HSPCB/GRN/2023/610 dated 28.08.2023 (Annexure-1). Commissioner, Municipal Corporation, Gurugram vide letter dated 20.09.2023 (Annexure-2) which is reproduced as under:-

"1. In reference to show cause notice as referred above, at the outset it is submitted that Municipal Corporation of Gurugram is committed for compliance of Solid Waste Management Rules, 2016. Municipal Corporation of Gurugram is taking every possible step to tackle the issue of Solid Waste in its jurisdiction.

2. That in present case also, answering respondent took sincere steps to get the Solid Waste Lifted and disposed of in scientific manner at the processing site at village Bandhwari.

3. That it is worthwhile to mention here that during visit on 24.08.2023, solid waste available at site was found stored at the site in question only and no waste was beyond the boundary of site in question. For the sake of clarity, it is submitted that at the time of visit, trucks were picking up the solid waste from the site in order to clean the site. Thus, waste was getting stored in trucks and no waste was out of the site in question.

4. The site is completely clean. Photographs dated 12.09.223 are attached herewith.

5. It is being informed that said place was being used as secondary collection point and the concessionaire i.e. M/s Eco Green Energy Pvt. Ltd. was supposed to lift the waste regularly. On account of lapses on the part of said concessionaire, waste could not be lifted regularly. Municipal Corporation of Gurugram issued notices to M/s Eco Green Energy Pvt. Ltd. and imposed penalty. Detail of penalty imposed (Dundahera Khatta) from June, 2023 is as under:-

Sr. No.	Letter memo No.	Dated	Amount
1	SSI-II/MCG/2023/966	08.06.2023	5000
2	SSI-II/MCG/2023/982	21.06.2023	25000
3	SSI-II/MCG/2023/988	23.06.2023	5000
4	SSI-II/MCG/2023/1009	28.06.2023	5000
5	SSI-II/MCG/2023/1011	30.06.2023	5000
6	SSI-II/MCG/2023/1017	03.07.2023	15000
7	SSI-II/MCG/2023/1033	04.07.2023	5000
8	SSI-II/MCG/2023/1037	05.07.2023	5000
9	SSI-II/MCG/2023/1049	06.07.2023	5000
10	SSI-II/MCG/2023/1062	07.07.2023	5000
11	SSI-II/MCG/2023/1070	08.07.2023	5000
12	SSI-II/MCG/2023/1083	10.07.2023	10000
13	SSI-II/MCG/2023/1130	24.07.2023	10000
14	SSI-II/MCG/2023/1169	25.07.2023	5000
15	SSI-II/MCG/2023/1184	26.07.2023	5000
16	SSI-II/MCG/2023/1188	27.07.2023	5000
17	SSI-II/MCG/2023/1197	29.07.2023	10000
18	SSI-II/MCG/2023/1220	02.08.2023	15000
19	SSI-II/MCG/2023/1224	04.08.2023	10000
20	SSI-II/MCG/2023/1245	08.08.2023	20000
		Total	175000

6. That the solid waste lying at the site in question was lifted and sent to designated site for scientific disposal and site was cleaned. Photographs have also been attached.


7. That answering respondent has taken proactive action to deal with solid waste at the site and is committed to safeguard the interest of public at large. There is no negligence on the part of MCG.

In view of the submissions made herein above, it is humbly prayed that show cause notice dated 28.08.2023 may kindly be withdrawn."

Keeping in view of reply of Commissioner, MCG, site is completely cleaned by lifting lying solid waste there and sent to designated site for scientific disposal and MCG has imposed penalty of Rs. 1.75 lacs as detailed mentioned above on the concessioner i.e. M/s Eco Green Energy Private Limited which was supposed to lift the waste regularly from this secondary collection point.

The Municipal Corporation of Gurugram has been directed to submit Action Plan for utilization of this amount of Rs.1.75 Lacs for restoration in the vicinity of area in question.

The report is being as submitted in the light of order of Hon'ble Tribunal, please.


Divyansh Krishna, AEE
HSPCB, Gurugram (N)


Sh. Hitesh Kumar Meena, IAS
ADC, Gurugram



Regional Office, Gurugram (N)
Haryana State Pollution Control Board
Vikas Sadan, Opposite- New Court, Gurugram



Website: www.hspcb.gov.in

Email: hspcbrogrn@gmail.com

Dated 28/8/23

No. HSPCB/GRN/2023/610

To

The Commissioner,
Municipal Corporation, Info City, Sector-34, Gurugram.
Email ID :- cmc@mcg.gov.in

Sub: - Show Cause Notice for prosecution under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 for violation of Solid Waste Management Rules, 2016, amended till date and Environmental Compensation as per policy order dated 29.4.2019, 20.12.2019 & 22.12.2021.

Ref: Original Application No. 473/2023 titled as Lalit Gulati & Anr. V/s Union of India & Ors.

Whereas, as per Municipal Solid Waste (management & Handling) Rules, 2016 every Municipal Authority shall within the territorial area of the Municipality be responsible for the implementation of the provisions of MSW Rules, 2016, and for any infrastructure development for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of Municipal Solid Waste;

And whereas, as per MSW Rules, any Municipal Solid Waste generated in a city shall be managed and handled in accordance with the procedure laid down in schedule II of these rules and shall meet the specifications and standards as specified in schedule III & IV;

And whereas, an OA No. 473/2023 titled as *Lalit Gulati & Anr. V/s Union of India & Ors* has been filed before Hon'ble National Green Tribunal having grievance regarding violation of Solid Waste Management Rules, 2016 and dumping of garbage in the road or open area at Udyog Vihar, Gurugram, Haryana and indiscriminate disposal of waste directly on the road has led to a multitude of detrimental consequences that pose a significant risk to public health, the environment, and the overall well-being of the community. The situation has reached such an alarming state that it has triggered widespread protests by the locals, who have taken to the streets with banners and slogans, demanding immediate action to address this growing menace. These protests have garnered the attention of news media, which have aptly referred to the road in question as a "mini landfill," highlighting the magnitude of the problem caused by the negligence of Eco Green Company;

Whereas, the site was visited on 24.08.2023 by the joint committee comprising of Additional Deputy Commissioner, (Member of Committee as representative of DC, Gurugram), Gurugram and Sh. Divyansh Krishna, AEE (Member of Committee as representative of HSPCB)

HSPCB, Gurugram Region (N) and during inspection, it was found that heaps of solid waste was being dumped along the roadside in open area;

That has caused to a multitude of detrimental consequences that pose a significant risk to public health, the environment, and the overall well-being of the community and is disturbing ecological balance and damaging the environment – air, water and soil”.

However, before proceeding further, Board intends to provide you an opportunity to makeover the deficiencies cited above. You are therefore requested to direct concerned officers/officials to comply with above said deficiencies within **15 days** failing which Legal Action against responsible officers/officials under the above said rules/ acts will be initiated without giving any further notice.

In view of above you are hereby given Show Cause for 15 days as to why legal action under Section 15 read with section 19 of EP Act, 1986 may not be initiated against your organization for violations of provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 & amended till date alongwith imposition of Environmental Compensation as per policy order dated 29.4.2019, 20.12.2019 & 22.12.2021. Your reply must reach within stipulated time period failing which it will be presumed that you have nothing to say in this regard and accept the status as mentioned above, which will warrant action under section 15 of EP Act, 1986 alongwith imposition of Environmental Compensation as per policy order dated 29.4.2019, 20.12.2019 & 22.12.2021 without giving any further notice.

 Regional Officer
Gurugram Region (N)

Endst. No. HSPCB/GRN/2023/

Dated:-

A copy of above is forwarded to the Chairman, HSPCB, Panchkula for information, please.

 Regional Officer
Gurugram Region (N)

To

The Regional Officer, Gurugram (North)
Haryana State Pollution Control Board.

Memo No -
Subject:

MCG/JC-SBM/2023/1080

Dated:- 20/09/2023

Reply to show cause notice dated 28.08.2023 for levy of Environment Compensation in compliance of National Green Tribunal order dated 28.07.2023.


1. In reference to show cause notice as referred above, at the outset it is submitted that Municipal Corporation of Gurugram is committed for compliance of Solid Waste Management Rules, 2016. Municipal Corporation of Gurugram is taking every possible step to tackle the issue of Solid Waste in its Jurisdiction.
2. That in present case also, answering respondent took sincere steps to get the Solid Waste Lifted and disposed of in scientific manner at the processing site at village Bandhwari.
3. That it is worthwhile to mention here that during visit on 24.08.2023, solid waste available at site was found stored at the site in question only and no waste was beyond the boundary of site in question. For the sake of clarity, it is submitted that at the time of visit, trucks were picking up the solid waste from the site in order to clean the site. Thus, waste was getting stored in trucks and no waste was out of the site in question.
4. The site is completely clean. Photographs dated 12.09.2023 are attached herewith.
5. It is being informed that said place was being used as secondary collection point and the concessionaire i.e. M/s Eco Green Energy Pvt. Ltd. was supposed to lift the waste regularly. On account of lapses on the part of said concessionaire, waste could not be lifted regularly. Municipal Corporation of Gurugram issued notices to M/s Eco Green Energy Pvt. Ltd. and imposed penalty. Detail of penalty imposed (Dundahera Khatta) from June, 2023 is as under:-

Sr. No.	Letter Memo No.	Dated	Amount
1	SSI-II/MCG/2023/966	08-06-2023	5000
2	SSI-II/MCG/2023/982	21-06-2023	25000
3	SSI-II/MCG/2023/988	23-06-2023	5000
4	SSI-II/MCG/2023/1009	28-06-2023	5000
5	SSI-II/MCG/2023/1011	30-06-2023	5000
6	SSI-II/MCG/2023/1017	03-07-2023	15000
7	SSI-II/MCG/2023/1033	04-07-2023	5000
8	SSI-II/MCG/2023/1037	05-07-2023	5000
9	SSI-II/MCG/2023/1049	06-07-2023	5000
10	SSI-II/MCG/2023/1062	07-07-2023	5000
11	SSI-II/MCG/2023/1070	08-07-2023	5000
12	SSI-II/MCG/2023/1083	10-07-2023	10000
13	SSI-II/MCG/2023/1138	24-07-2023	10000
14	SSI-II/MCG/2023/1169	25-07-2023	5000
15	SSI-II/MCG/2023/1184	26-07-2023	5000
16	SSI-II/MCG/2023/1188	27-07-2023	5000

17	SSI-II/MCG/2023/1197	29-07-2023	10000
18	SSI-II/MCG/2023/1220	02-08-2023	15000
19	SSI-II/MCG/2023/1224	04-08-2023	10000
20	SSI-II/MCG/2023/1245	08-08-2023	20000
Total			175000

6. That the solid waste lying at the site in question was lifted and sent to designated site for scientific disposal and site was cleaned. Photographs have also been attached.
7. That answering respondent has taken proactive action to deal with solid waste at the site and is committed to safeguard the interest of public at large. There is no negligence on the part of MCG.

In view, of the submissions made herein above, it is humbly prayed that show cause notice dated 28.08.2023 may kindly be withdrawn.



for Commissioner,
Municipal Corporation,
Gurugram.

Dt. 20/09/2023

Endst. No. MCG/JC-SBM/2023/ 1081

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please.

1. Commissioner and Secretary, Urban Local Bodies Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies Haryana.
3. Deputy Commissioner, Gurugram.
4. Additional Commissioner, Municipal Corporation, Gurugram.
5. Joint Commissioner-II, Municipal Corporation, Gurugram.
6. Superintending Engineer, Municipal Corporation, Gurugram.
7. Chief Account Officer, Municipal Corporation, Gurugram.
8. Executive Engineer-SBM, Municipal Corporation, Gurugram.
9. Consultant – SBM, Municipal Corporation, Gurugram.
10. Consultant – WtE, Municipal Corporation, Gurugram
11. PA to CMC, Municipal Corporation, Gurugram.


for Commissioner,
Municipal Corporation,
Gurugram.

mail - 08.06.2023

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

✓ मैसर्स इको ग्रीन ईन्वर्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/966

दिनांक : 08./06/2023

विषय :-

नोटिस। (डूण्डाहेडा खत्ते से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आज दिनांक 08.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डूण्डाहेडा खत्ते का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। डूण्डाहेडा खत्ते पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेकों बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 5000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर दो दिन के अन्दर अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही के लिये उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा।

S.S.

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 08./06/2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/967

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

✓ मैसर्ज इको ग्रीन ईन्ऱजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।

क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/ 982

दिनांक : 21.../06/2023

विषय :-

नोटिस। (डूण्डाहेडा खत्ते से कूडा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आज दिनांक 21.06.2023 को आयुक्त महोदय, संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), संयुक्त आयुक्त -II एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा डूण्डाहेडा खत्ते का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूडा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढे हुए थे। डूण्डाहेडा खत्ते पर कूड़े की मात्रा बढने के कारण कूडा मुख्य सडक तक पहुंचा हुआ था। उक्त खत्ते पर कूड़े की मात्रा देखकर आयुक्त महोदय एवं सभी उच्च अधिकारियों द्वारा नाराजगी एवं फर्म के प्रति रोष प्रकट किया गया है।

उक्त खत्ते की हालत देख ऐसा प्रतित हो रहा है कि उक्त खत्ते से आपके द्वारा कूडा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूडा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफ़ि परेशानियों का सामना करना पड रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्ते से समय पर कूडा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जीयां उडाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्ते की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतित होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही एवं NGT के नियमों को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 25000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त खत्ते की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर दो दिन के अन्दर अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें।



वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,

नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 21.../06/2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/ 983

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Seen




वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,

नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्र्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।

विषय :-

क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/988

दिनांक : 23.../06/2023

नोटिस। (जोन नं० 2 में खत्तों एवं Secondary Collection Point के निरीक्षण बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 22.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डूण्डाहेडा, सब्जी मण्डी, कार्टरपुरी खत्तों एवं Secondary Collection Point का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों पर भारी मात्रा में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दिनांक 21.06.2023 को आयुक्त महोदय, अतिरिक्त आयुक्त महोदय एवं संयुक्त आयुक्त महोदय द्वारा किये गये निरीक्षण उपरान्त आपको खत्तों से कूड़ा उठाने बारे सख्त निर्देश दिये गये थे परन्तु आज दिनांक 22.06.2023 को दोपहर बाद भी आपके द्वारा किसी भी खत्ते को पूर्णतः साफ नहीं कराया गया है। कूड़ा न उठ पाने से उक्त खत्तों पर कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफ़ि परेशानियों का सामना करना पड रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदयु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया जा रहा है तथा आपके द्वारा ऐसा करके NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों एवं Secondary Collection Point की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बार बार निर्देशित करने के बावजूद आप अपने कार्य में लापरवाही कर रहे हो। अतः उक्त की गई लापरवाही एवं NGT के नियमों को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 20000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों एवं Secondary Collection Point की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें।

Raman

For } वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 23.../06/2023पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/989
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Raman

For } वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

Seen

C.

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्रजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।

क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/ 1009

दिनांक : 28/06/2023

विषय :-

नोटिस। (Dundahera, Carterpuri, Atul Kataria Chowk MRF & Sabji Mandi से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आज दिनांक 28.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा Dundahera, Carterpuri, Atul Kataria Chowk MRF & Sabji Mandi खत्ते का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। डूण्डाहेडा खत्ते पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्ते की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्ते की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्ते से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्ते से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGA के नियमों की धज्जीयां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्ते की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 10000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्ते की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर दो दिन के अन्दर अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही के लिये उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 28/06/2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/ 1010

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्र्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1011

दिनांक : 30/06/2023

विषय :-

नोटिस। (Dundahera, Carterpuri, Atul Kataria Chowk MRF & Sabji Mandi से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आज दिनांक 30.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा Dundahera, Carterpuri, Atul Kataria Chowk MRF & Sabji Mandi खत्ते का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्ते से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। डूण्डाहेडा खत्ते पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्ते की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्ते की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्ते से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्ते से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGI के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्ते की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 10000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्ते की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर दो दिन के अन्दर अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही के लिये उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा।

See
K.पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1012
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Kohli Raman
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 30/06/2023

Kohli Raman
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्वर्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1017

दिनांक : 03/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 01.07.2023, 02.07.2023 व 03.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो। अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 45000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1018

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 03/07/2023

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्वर्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1033

दिनांक : 04/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 04.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक विल से 15000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

See
/C.

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1034-36

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Kumar
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 04/07/2023

Kumar
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्जनी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1037

दिनांक : 05/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 05.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 15000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 05/07/2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1038-40

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्वर्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1049

दिनांक : 06/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 06.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGA के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 15000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1050-52

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 06/07/2023


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्टरजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1062

दिनांक : 07/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 07.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 15000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 07/07/2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1063-65

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्ऱजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1070

दिनांक : 08/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 08.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 15000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1071-73

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Seen

For Raman
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 08/07/2023

For Raman
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्टरजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1083

दिनांक : 10/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 09.07.2023 व 10.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा, कार्टरपुरी व सब्जी मण्डी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 30000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 10/07/2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1084-86
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्टरजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1138

दिनांक : 24/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 23.07.2023 व 24.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफ़ि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हों।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 20000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1139-41

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 24/07/2023


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्जनी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1169

दिनांक : 25/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 25.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 10000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1170-72

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -आ, नगर निगम गुरुग्राम।


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 25/07/2023


वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसार्ज इको ग्रीन ईन्टरजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1184

दिनांक : 26/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 26.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों वारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही है।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 10000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1185-87

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Seen
/s/

FOR 
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 26/07/2023

FOR 
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-आ,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्वर्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1188

दिनांक : 27 / 07 / 2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 27.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों वारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGI के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेकों बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हैं।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 10000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

For *Raman*
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 27 / 07 / 2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1189-91

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Sen
S.P.

For *Raman*
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन इन्वर्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1197

दिनांक : 29/07/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने वारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 28.07.2023 व 29.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों वारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने वारे आपको अनेको वार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक विल से 20000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1198-1200
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 29/07/2023वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम ।

प्रेषित

मैसर्स इको ग्रीन ईन्ऱजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम ।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1220

दिनांक : 02/08/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 31.07.2023, 01.08.2023 व 02.08.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो।

अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 30000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Ramesh
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 02/08/2023

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1221-1223

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

Ramesh
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्वर्जी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1224

दिनांक : 04/08/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 03.08.2023 व 04.08.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हो। अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 20000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1225-27

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

See
/

For Ramen
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।
दिनांक: 04/08/2023

For Ramen
वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषक

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

प्रेषित

मैसर्ज इको ग्रीन ईन्टरजी प्रा. ली.
603, आई.एल.डी. ट्रेड सेन्टर
सेक्टर- 47ए, सोहना रोड, गुरुग्राम।
क्रमांक न. SSI-II/MCG/2023/1245

दिनांक : 08/08/2023

विषय :-

नोटिस। (डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों से कूड़ा न उठाने बारे)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023 व 08.08.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा डुण्डाहेडा व कार्टरपुरी खत्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खत्तों से समय पर कूड़ा न उठ पाने से कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। उक्त खत्तों पर कूड़े की मात्रा बढ़ने के कारण कूड़ा मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। उक्त खत्तों की समय पर सफाई न होने व कूड़े के ढेरों बारे कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त खत्तों की हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त खत्तों से आपके द्वारा कूड़ा नियमित नहीं उठाया जा रहा है। अधिक मात्रा में कूड़ा होने के कारण स्थानीय व आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आस पास के क्षेत्र में बदबु से बुरा हाल है। कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर निगम गुरुग्राम की छवि धूमिल हो रही है आपके द्वारा खत्तों से समय पर कूड़ा न उठाकर अपने कार्य के प्रति लापरवाही का सबूत दिया है तथा आपके द्वारा NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खत्तों की सफाई कराने बारे आपको अनेको बार पत्रों के माध्यम से तथा दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया है परन्तु आप द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर कार्य में लापरवाही कर रहे हैं। अतः उक्त की गई लापरवाही को मध्य नजर रखते हुए आपके मासिक बिल से 40000/- रुपये की कटौती करने उपरान्त अदायगी की जाएगी। इसके साथ साथ आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त खत्तों की तुरन्त प्रभाव से सफाई कराकर शीघ्र अति शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रिपोर्ट करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

पृ. क्रमांक न SSI-II/MCG/2023/1246-48

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त - I, नगर निगम गुरुग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन), नगर निगम गुरुग्राम।
3. संयुक्त आयुक्त -II, नगर निगम गुरुग्राम।

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।

दिनांक: 08/08/2023

वरिष्ठ सफाई निरीक्षक-II,
नगर निगम गुरुग्राम।



Sati Mata Mandir Rd, Kapas Hera Estate, Gurugram, Haryana 122008, India

Gurugram

Haryana

India

2023-09-12(Tue) 04:16(PM)



33°C

91°F



244, Rajiv Nagar, Udyog Vihar III, Sector 20, Gurugram, Haryana 122008, India

Gurugram

Haryana

India

2023-09-12(Tue) 04:15(PM)



33°C

91°F



Sati Mata Mandir Rd, Kapas Hera Estate, Gurugram, Haryana 122008, India

Gurugram

Haryana

India

2023-09-12(Tue) 04:16(PM)



33°C

91°F